महत्वपूर्ण एवं खास

दो मासूम बच्चों के साथ मां ने लगाई फांसी,जांच में जुटी पुलिस

धमतरी (आरएनएस)। बिरेझर चौकी इलाके के धूमा गांव में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। मां ने अपने दो मासूम बेटों के साथ घर में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की खबर मिलते ही कुरूद और बिरेझर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। खुदकुशी का कारण पता नही चल पाया है। जिन मासूम बेटों को मां ने दूध पिला कर बड़ा किया था आज ऐसी क्या वजह हो गई कि उन्हीं मासूम बेटों के साथ मां को खुदकुशी करना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम धूमा में झरना साहू 26 वर्ष ने अपने बेटे सागर 6 वर्ष और अक्षय 4 वर्ष के साथ अपने कमरे में लगे जंगला के छड़ में दो साड़ी का फंद्रा बनाकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली.। घटना बुधवार सुबह 6:30 से 8:00 के बीच बताई जा रही है। उस वक्त झरना का पति सब्जी बेचने गया हुआ था । सुबह जब तीनो को फांसी पर लटका देखा तो परिवार के लोग सकते में आ गए।मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। महिला ने अपने दोनो बच्चो के साथ फांसी क्यो लगाई है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है ।

सीआरपीएफ के जवान ने की खुदकुशी

गरियाबंद (आरएनएस)। सीआरपीएफ 65 वीं बटालियन के जवान ने एके 47 राइफल से खुद पर गोली चलाकर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जवान का नाम उदयवीर सिंह निवासी एटा उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस अधिकारियों का दल दर्रीपारा सीआरपीएफकैंप पहुंचा है। गरियाबंद एसपी जेआर ठाकुर ने उक्त घटना की पुष्टि की है। इस आत्महत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सका है।

लगभग तीन वर्षो में प्रदेश में 1181 नक्सलियों ने आत्मसमपर्ण किया, 160 मारे गए

» नक्सलियों ने 139 आम नागरिकों की हत्या की

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में लगभग तीन वर्षों में 1181 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, वहीं 160 नक्सली मारे भी गए है। यह जानकारी प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधानसभा में विधायक विद्यारतन भसीन के लिखित प्रश्नों के लिखित उत्तर में दी है। गृहमंत्री ने यह भी बताया कि उक्त अवधि के दौरान नक्सलियों ने 139 आम नागरिकों की हत्या की है। झीरम घाटी घटना के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर गृहमंत्री ने जानकारी दी है कि झीरम घटना के संबंध में गठित जांच आयोग द्वारा राज्यपाल को 16 नवंबर 2021 को प्रतिवेदन सौंपा गया था, जिसे 12 नवंबर 21 द्वारा शासन को सौंपा गया। 11 नवंबर 21 को जांच में अतिरिक्त बिन्दु निर्धारित कर आयोग पुर्नगठन किया गया है। जांच आयोग अधिनियम-1952 की धारा-3 की उपधारा-4 के प्रावधान अनुसार उक्त जांच प्रतिवेदन में आवश्यक कार्यवाही कर ज्ञापन सहित विधानसभा के पटल पर रखने के उपरांत ही रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाता है।

संजय बाजार में जुआ खेल रहे 6 जुआरी गिरफ्तार

जगदलपुर (आरएनएस)। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत संजय बाजार के सुलभ शौचालय बरामदा में ताश के 52 पत्ते से रूपये पैसे का दांव लगाकर हारजीत का जुआ खेल रहे 06 जुआरियों को घेराबंदी कर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जुआरियों में 1. विकास सागर पिता सोमनाथ सागर निवासी बैला बजार 2. अजय शुक्ला पिता स्व. ओम प्रकाश शुक्ला निवासी मोती तलाब पारा 3. सूरज कुमार अशानी पिता स्व. द्वारका दास निवासी प्रतापदेव वार्ड 4. सिद्धर्थ जैन पिता धनराज जैन निवासी मोती तलाब पारा 5. आदर्श तिवारी पिता विरेन्द्र तिवारी निवासी पनारापारा 6. शीशीर कुमार जैन पिता ब्रिजेश कुमार जैन निवासी महादेवघाट के कब्जे से नगदी रकम 16400 रूपये एवं 52 पत्ते जप्त कर जुआ एक्ट की धारा 13 के तहत कार्यवाही कर अप.क्र.-410/2021 पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया।

रेडी टू ईट का कार्य स्वसहायता समूह से लेकर निजी संस्था को देने के मुद्दे पर सदन में हंगामा

» इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराये जाने की मांग की

» आसंदी से अनुमति नहीं मिलने पर भाजपा सदस्यों ने सदन की कार्यवाही से किया बहिष्कार

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को प्रतिपक्ष भाजपा ने रेडी टू ईट का कार्य राज्य सरकार द्वारा स्व सहायता समूह से वापस लेकर एक निजी संस्था को दिए जाने का मामला जोरशोर से उठाया। इस मामले में भाजपा ने स्थगन प्रस्ताव लाकर इस विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग की। आसंदी से इसकी स्वीकृति नहीं मिलने पर भाजपा सदस्यों ने सदन की कार्यवाही से बहिस्कार कर दिया।

प्रश्नकाल के बाद भाजपा सदस्यों ने स्वसहायता समूह से रेडी टू ईट का कार्य वापस लेकर एक निजी संस्था को दिए जाने के विषय पर स्थगन प्रस्ताव लाया। स्थगन प्रस्ताव में भाजपा सदस्यों ने कहा कि महिला एवं बाल विकास में अधिक महिला समूह की 20000 महिलाओं के परिवारों को 2009-10 में भाजपा सरकार द्वारा दी टू ईट का कार्य दिया गया था कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं आर्थिक रूप से हो सके। आज इन समूह के द्वारा 1000 करोड़ रूपए का रेडी टू ईट का प्रदाय प्रतिवर्ष किया जा रहा है लेकिन प्रदेश की सरकार इन संक्त होती महिलाओं को बेरोजगार करना चाहती है तथा भ्रष्टाचार के चलते पूरा कार्य बीज निगम को देना चाहती है क्योंकि

बीज निगम के द्वारा अनुबंधित संस्था जो कि एक निजी फर्म की है उसको करोड़ों का फायदा पहुंचाया जा सके।

भाजपा सदस्यों ने आरोप लगाया कि पूरा विभागीय अमला अष्टाचार में डूबा हुआ है। महिला समूह से 25 प्रतिशत की राशि मीशन के रूप में तथा उनके अनुबंध को बढ़ाने के लिए 50000 रुपये तक की मांग की जाने की शिकायतें लगातार की गई है। महिला समूह के द्वारा उक्त भ्रष्टाचार का विरोध किये जाने के कारण अब विभागीय अधिकारियों के प्रस्ताव पर इन महिला समूह को हटाने का प्रयास किया जा रहा है जबकि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि आंगनबाड़ियों में जो भी पोषण आहार का वितरण किया जाएगा यह स्थानीय स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाना है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के द्वारा अक्टूबर 2019 में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रारंभ किया गया इसमें कई अरब रूपये खर्च किया गया और यह अभियान भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। भाजपा सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव में यह भी कहा कि सतत् विकास लक्ष्य 2019 में कुपोषण 35 प्रतिशत बताया गया था जबकि सतत् विकास लक्ष्य 2020 की रिपोर्ट में कुपोषण 40 प्रतिशत् बताया गया है अर्थात् कुपोषण में वृद्धि हुई है। नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे-5 के अनुसार 31 प्रतिशत वजन अनुसार व 35 प्रतिशत उंचाई अनुसार कुपोषण है जबकि मानसून सत्र 2021 में विभाग ने विधानसभा में बताया है कि 2019-20 में 5 प्रतिशत और 2020-21 में 3 प्रतिशत कुपोषण में कमी आयी है तथा मार्च 2021 में छत्तीसगढ़ में मात्र 15 प्रतिशत कुपोषण की जानकारी दी गई है। विभागीय अधिकारी आंकड़ों में हेराफेरी कर विधानसभा में झूठी जानकारी दे रहे हैं। 2015 में एनीमिक महिलाओं का प्रतिशत 47 प्रतिशत था आज 65 प्रतिशत महिलाएं एनीमिक है। यह प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली है। भ्रष्टाचार में लिप्त विभाग महिला एवं बच्चों के निवाला छिनने में भी पीछे नहीं है उनका निवाला छीना जा रहा है। भ्रष्टाचार में अंकुश नहीं लगाने तथा महिला समूह को बेरोजगार करने के कारण महिला समूह में व आम जनता में भारी आकोश है। भाजपा सदस्यों ने इस विषय पर आसंदी से मांग की कि तत्काल इस विषय पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।

इस मामले में सत्ता पक्ष की ओर से विभागीय मंत्री ने वक्तव्य सदन में रखा। वक्तव्य में कहा गया कि यह सही है कि पूरे प्रदेश में वर्ष 2009 से महिला स्व सहायता समूहों द्वारा रेडी टू ईट का निर्माण एवं वितरण का कार्य किया जा रहा है।

खड़ी ट्रक से स्कार्पियो टकराई, 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मौत, 7 घायल

कोण्डागांव (आरएनएस)। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर रायपुर से लौट रहे एक स्कॉर्पियो खड़ी ट्रक से टकरा गया।एक्सीडेंट में कई महिलाएं घायल हो गई, वहीं दो की मौत की खबर है। वहीं कोतवाली थाना क्षेत्र लंजोड़ा में बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बनियागांव के पास देर रात एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो खड़ी ट्रक से जा भिड़ी हादसे में हादसे में 2 महिला की मौके पर मौत हो गई। जबकि 7 महिलाएं घायल है। स्कॉर्पियो में सवार सभी महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बताएं जा रहे हैं जो रायपुर में आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे। वहीं बुधवार देर रात स्कॉर्पियो में सवार होकर बीजापुर लौट रहे थे। कोतवाली पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी तरह कोंडागांव कोतवाली थाना क्षेत्र लंजोड़ा में बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इधर शहर के जयस्तंभ चौक में भी हादसा हुआ है। गनीमत है ?कि हादसा देर रात हुआ वरना कई लोगों की जान जा सकती थी। दरअसल शहर के जयस्तंभ चौक में एक ट्रक खड़ी कार और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरे लेन में जा घुसी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है।

शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के स्थगित

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ का शीतकालीन सत्र बुधवार को समय से दो दिन पूर्व ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। इससे पहले सरकार ने 2108 करोड़ का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित करा लिया। वहीं चार संशोधन विधेयकों को भी विधानसभा की मंजूरी मिल गई। विधानसभा का अगला सत्र फरवरी-मार्च महीने में बजट सत्र के तौर पर आयोजित होगा।

अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब बोलने खड़े हुए तो उनके निशाने पर भाजपा थी। भाजपा के बहिष्कार और स्थगन प्रस्ताव को घड़ियाली आंसू बताते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, पिछली सरकार ने रेडी टू ईट की गुणवत्ता पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा होता तो रमन सिंह का कमीशन मारा जाता। रेडी टू ईट का काम महिला स्व-सहायता समूहों से लिए जाने के फैसले पर सफाई देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, 2009 में रेडी टू ईट का काम 1 हजार 627 समूहों को दिया गया था। पांच साल बाद अनुबंध बढ़ाए गए। यूनिसेफ ने रेडी टू ईट के गुणवत्ता की जांच की थी। इसमें बताया गया, इन समूहों को कुछ प्रभावशाली व्यक्ति चलाते हैं, महिलाएं केवल मजदूर की भूमिका में हैं। गुणवत्ता मानकों पर भी ये ठीक नहीं पाए गए। सर्वोच्च न्यायालय ने गुणवत्ता को लेकर विस्तृत आदेश जारी किए हैं। इसकी वजह से बदलाव करना पड़ा है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, यही काम गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुआ है। भाजपा वहां विरोध क्यों नहीं कर रही है। ये घड़ियाली आंसू हैं, जिसका मकसद केवल कमीशनखोरी है। सदन से बाहर पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा के लोगों की विषय पर कोई तैयारी ही नहीं है। ये लोग सोचे कुछ और थे। अचानक रेडी टू ईट पर स्थगन ले आए। सरकार चर्चा पर तैयार हो गई तो कार्यवाही छोड़कर चले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा केवल मीडिया की चर्चा में बने रहने के लिए ऐसा कर रही है।

हुक्का बार पर प्रतिबंध का विधेयक पारित– विधानसभा में आज सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन विधेयक भी पारित कर दिया गया। इसमें सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया है। सरकार ने हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई तेज की है।

सहारा इंडिया और चिटफंड कंपनियों का मुद्दा सदन में गूंजा

» विधायक रेणु जोगी द्वारा उठाये मुद्दे पर भाजपा सदस्यों ने गृहमंत्री को घेरा

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को सदन में सहारा इंडिया और चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही का मुद्दा जोरशोर से गूंजा।

प्रश्नकाल में आज जनता कांग्रेस छग दल की विधायिका श्रीमती डा. रेणु जोगी ने यह मामला उठाया। उन्होंने अपने मूल प्रश्न में गृहमंत्री से जानना चाहा कि वर्ष 2018 से छग प्रदेश में निवेशक के रूप में कितनी चिटफंड कंपनियां संचालित थी तथा सहारा इंडिया की विभिन्न शाखाओं में निवेशकों द्वारा जमा कराई गई राशि के भुगतान के लिए 17 नवंबर 2021 तक क्या-क्या कार्यवाही हुई एवं प्रदेश के कितने निवेशकों द्वारा उक्त कंपनी में कितनी राशि का निवेश किया गया।

गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने इसका जवाब में बताया कि वित्त विभाग की जानकारीनुसार प्रदेश में चिटफंड अधिनियम 1982 प्रभावशील है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश में कोई भी चिटफंड कंपनी अधिकृत रूप से पंजीकृत अथवा संचालित नहीं है। उन्होंने सहारा इंडिया को लेकर पूछे गए प्रश्ना का उत्तर देते हुए बताया कि सहारा इंडिया पर राज्य शासन का नियंत्रण नहीं है जिस कारण निवेशकों के द्वारा जमा राशि एवं भुगतान की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जो मामले संज्ञान में आए है या आ रहे है उन पर समुचित कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी में निवेशित राशि की जानकारी राज्य शासन को उपलब्ध नहीं है। श्रीमती रेणु जोगी ने पूरक प्रश्न किया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वादा किया गया था कि चिटफंड कंपनियों को उनका पैसा वापस दिलाया जाएगा। लेकिन शासन द्वारा निवेशकों को पैसा वापस दिलाया तो जा रहा है लेकिन यह राशि ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है। उन्होंने कहा कि क्या निवेशकों को पैसा वापस दिलाया जाएगा।

इस पर गृहमंत्री ने कहा कि घोषणा के अनुसार चिटफंड कंपनियों पर कार्यवाही की जा रही है और धीरे-धीरे उनकी संपत्ति राजसाद कर निवेशकों को उनकी पूंजी वापस लौटाई जा रही है। विधायिक रेणु जोगी ने कहा कि सहारा इंडिया के खिलाफ क्यों अपराध पंजीबद्ध नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सहारा इंडिया के डायरेक्टर को 20 हजार करोड़ रूपये का गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा तक सुनाई थी फिर सहारा को सहारा देकर शासन छग को बेसहारा करना क्यो चाहती है।

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने भी इस मामले पर कहा कि सहारा इंडिया के खिलाफ कितनी शिकायतें आई, कितनी गिरफ्तारियां हुई।

साईबर ठग लोगों को ठगने के लिए रोजाना अपना रहे हैं नए नए तरीके

जगदलपुर (आरएनएस)। जिले में ऑनलाइन लेनदेन से लोगों की सुविधा बढ़ी है, लेकिन साइबर अपराधी इसका दुरूपयोग कर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साईबर ठग लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। ऑनलाइन अपराध को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा साइबर सेल का गठन कर जागरूक किये जाने के बावजूद ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऑनलाइन भुगतान के लिए बनाए गए एप का उपयोग करने वाले कई ग्राहकों को ये साइबर ठग फेंड रिचेस्ट भेजते हैं। इसमें कई मोबाइल धारक भ्रमित होकर झांसे में आ जाते हैं तथा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर चैटिंग शुरू कर देते हैं। साइबर अपराधी उन्हें खाते में पैसे भेजने का फर्जी लिंक भेजते हैं। इसके अलावा लोगों के साथ आनलाइन ठगी करने के लिए उन्हें काल कर बैंक अधिकारी बनकर खाता की जानकारी लेकर ठगी करते हैं। इसके अलावा भी अन्य कई प्रकार से ठगी कर लोगों का खाता खाली कर रहे है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि बस्तर जिले में पिछले वर्ष ऑनलाइन अपराध को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा साइबर सेल का गठन किया गया है।

हाथियों के दल ने उत्पात मचा एक ही रात 18 परिवार को किया बेघर

कोरबा (आरएनएस)। कटघोरा वनमंडल के पसान वनपरिक्षेत्र में 45 हाथियों के दल ने एक ही रात में तीन गांव के 18 घरों को तोड़ दिया। झुंड ने बरबस पारा के पहाड़ के निकट डेरा जमाया है। हाथियों के दल की वापसी ढाई माह बाद हुई है। वन विभाग निकटवर्ती गांव के लोगों को सुरक्षित जगह जाने की हिदायत दे रही है। खलिहानों में इन दिनों धान रखी हुई है। हाथियों के दल के आने से ग्रामीणों में भय क वातावरण बना हुआ है।

पसान वन परिक्षेत्र में हाथियों का दल ऐसे समय में वापस आया है, जब किसानों के खलिहान में उनकी साल भर की कमाई धान की फसल रखी हुई है। जिन गांवों में हाथियों के दल ने मकान तोड़ा है उनमें बरबस पारा के 13, बलबहरा के तीन और मोहनपुर बगबुडी के दो मकान शामिल हैं।

दल में शामिल हाथियों ने मकान के साथ यहां रखे धान चावल को भी चट कर दिया। आंगन में रखे मोटर साइकिल को भी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के दल के आने से आसपास के 20 गांव में मिंजाई का काम बंद हो चुका है। धान उपार्जन केंद्र लाने की तैयारी में पानी फिर गया है। इधर वन अमले कि माने तो दल दिन भर जंगल में रहते हैं और रात होते ही गांव की ओर आ जाते हैं। धान के अलावा किसानों की बाड़ियों में लगी सब्जियों को भी बर्बाद कर रहे हैं। प्रभावित गांवों के बीटगार्ड ईश्वर मानिकपुरी ने बताया कि कर्मचारियों के साथ हाथियों पर नजर रखे हैं और हरसंभव लोगों को मदद का भरोसा दे रहे हैं। कर्मचारियो का यह भी कहना है कि रात में जंगल से निकल कर हाथी किस गांव की ओर रूख करेंग इसकी सही जानकारी नहीं मिल पाती। इस वजह से आसपास के गांव के लोगों को कच्ची मकान छोड़कर स्कूल अथवा आंगनबाड़ी में जाने के लिए कहा जा रहा है। गांव के बाहर बने एकांत घरों को छोड़कर लोगों को घनी बस्तियों में रहने की सलाह दी जा रही है। सुरक्षा के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया गया हैए जो पर्याप्त नहीं है।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक
आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कृष्ण सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।
उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।
मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।
पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।
अन्य बिन्दु
● संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
● पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
● संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
● संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
● संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूर्धन्य विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करवाएगा।
पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

मनरेगा के राज्य कार्यालय के साख्यिंकी अधिकारी ने जिले के विभिन्न पंचायतों का किया निरीक्षण

रायगढ़ । पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के राज्य कार्यालय से आकाश धर दिवान, सांख्यिकी अधिकारी मनरेगा सेल रायपुर के द्वारा सारंगढ़ जनपद के ग्राम पंचायत कपरतुंगा में मनरेगा योजना अंतर्गत चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यो का निरीक्षण किया गया। जिसमे खाद-बीज संग्रहण केन्द्र, चबूतरा निर्माण कार्य, मंडी परिसर समतलीकरण कार्य, डबरी निर्माण, गौठान में वर्मी शेड, सामुदायिक पशु शेड का निरीक्षण किया गया।

साथ में गुड गवर्नेस के तहत ग्राम पंचायत में संधारित 7 पंजी, मेट रजिस्टर, निरीक्षण पंजी, मानक सूचना बोर्ड निर्माण, श्रमिकों के लिए आवश्यक पानी, मेडिकल किट, छाया की व्यवस्था का अवलोकन किया गया एवं मनरेगा मजदूरों से समय पर भुगतान होने के संबंध में जानकारी लिया गया। मनरेगा योजना में रियल टाइम ट्रैकिंग एप्स एरिया ऑफिसर एप्स के संबंध में जनपद के सभी स्टाफ को विस्तृत जानकारी देकर सफल संचालन के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया। इसी क्रम में दीवान द्वारा जनपद पंचायत पुसौर के ग्राम पंचायत केनसरा के नया तालाब गहरीकरण कार्य का निरीक्षण किया गया। उक्त कार्य के निरीक्षण के दौरान सरपंच, ग्राम रोजगार सहायक एवं मेट से कार्य के संबंध में आवश्यक जानकारी ली गई। कार्यस्थल पर उपस्थित मितानिन से मजदूरों को दी जाने वाली मेडिकल सुविधा (दवाईयों) के संबंध में जानकारी ली गई। कार्यस्थल पर उपस्थित मजदूरों से कार्य एवं मजदूरी भुगतान के संबंध में चर्चा की गई तथा ग्राम पंचायत में संधारित 07 पंजी का निरीक्षण किया गया। कार्यस्थल पर सूचना पटल का निर्माण किये जाने हेतु ग्राम पंचायत एजेंसी को निर्देशित किया गया व गौठान एवं चारागाह में निर्मित संरचनाओं (सीपीटी, वैट, पशु शेड, कोटना, पानी टंकी, चबूतरा ,अंजोला टैंक, शौचालय, सोलर पैनल एवं वर्मी टांका) का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी ली गई एवं गोधन योजनान्तर्गत वर्मी खाद उत्पादन कार्य कर रही स्व-सहायता समूह की महिलाओं से खाद निर्माण की प्रक्रिया एवं उक्त कार्य से हुये लाभ के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। तत्पश्चात मुक्तिधाम सह प्रतिक्षालय निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। उक्त कार्य भौतिक रुप से पूर्ण पाया गया जिसमें स्वीकृत राशि, मजदूरी तथा सामग्री घटक तथा निर्मित परिसम्पत्ति के उपयोग के संबंध में जानकारी ली गई एवं चेक डेम निर्माण कार्य उक्त कार्य नरवा योजनान्तर्गत चयनित नरवा में मनरेगा तथा जल संसाधन विभाग के अभिसरण से स्वीकृत एवं निर्मित किया गया है। नरवा चयन करने तथा नरवा डीपीआर मे सम्मिलित किये गये कार्यो के संबंध मे तकनीकी सहायक से चर्चा की गई। चेक डेम निर्माण कार्य से हुये लाभ, सिंचित क्षेत्र में हुई वृद्धि के संबंध में चर्चा की गई एवं उक्त कार्य की सफलता की कहानी तैयार कर राज्य कार्यालय को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।